न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 22/2022 GCMS No.—2022/73

1. हिम्मत सिंह पुत्र उम्मेद सिंह
2. विजेन्द्र सिंह पुत्र गुलाब सिंह
   जाति राजपूत निवासी ग्राम पीलिया, ग्राम पंचायत खिजुरिया तिवाडीयान पंचायत समिति तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. हनुमान सिंह पुत्र नाहर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पीलिया ग्राम पंचायत खिजुरिया तिवाडीयान, पंचायत समिति तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत खिजुरियान तिवाडीयाान, पं.स. तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

.....विपक्षीगण

———————

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध निर्णय सरपंच ग्राम पंचायत खिजुरियान तिवाडीयान, पं.स. तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर निर्णय दिनांक 14.12.2021 पट्टा संख्या 12 दिनांक 15.12.2021

उपस्थितः–

1. श्री बनवारी लाल शर्मा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री आर.के.डागा व अजय परवाल अधिवक्ता गैरनिगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 28.03.2023

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत खिजुरियान तिवाडीयान, पंचायत समिति तूंगा के संकल्प संख्या 2(11) दिनांक 14.12.2021 की पालना में निर्णय/आदेश दिनांक 15.12.2021 से गैर निगरानीकार संख्या 1 हनुमान सिंह पुत्र नाहर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पीलिया ग्राम पंचायत खिजुरिया तिवाडीयान, पं.स. तूंगा के पक्ष में पट्टा संख्या 12 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 25.06.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या–एक की ओर से श्री आर.के. डागा अधिवक्ता उपस्थित आये एवं अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल तलब की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के पत्रांक 137 दिनांक 02.08.2022 से मूल पट्टा पत्रावली प्राप्त हुई जो कि शामिल मिसल की गई। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अभिभाषक निगरानीकार सुनी गई। उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गयी जो शामिल मिसल की गयी।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

योग्य अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकार ग्राम पीलिया ग्रा.प. खिजुरिया तिवाडीयान के निवासी है एवं निगरानीकार की पुश्तैनी कब्जे की भूमि

उक्त कब्जाशुदा बाडे की भूमि पर निगरानीकार का पुख्ता डण्डा बना हुआ है जिसके उपर तारो की बाउण्ड्री बनी हुई है। उक्त भूखण्ड के सामने गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा प्रश्नाधीन पुश्तैनी भूमि का बदनीयति पूर्वक तत्कालीन सरपंच कमली देवी के फर्जी हस्ताक्षर कर पट्टा प्राप्त कर लिया जो गलत है। दिनांक 15.12.2021 को निगरानीकार ने शिविर प्रभारी महोदय को पट्टा जारी नहीं करने बाबत आपत्ति प्रस्तुत की थी। जिसे नजर अंदाज करते हुये आनन फानन में गलत रूप से पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूखण्ड का पट्टा जारी करने का निर्णय पारित किया है वह निगरानीकार की पीढियो से बने खाम बाडे की भूमि है। निगरानीधीन पट्टे के पूर्वी तरफ 18 फीट का रास्ता है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त पट्टे की आड में अवैध अतिक्रमण करते हुए 18 फीट रास्ते पर अवैध निर्माण कर लिया, रास्ते की भूमि पर कोई पट्टा प्रदत्त नही किया जा सकता। प्रथम दृष्टया ग्राम पंचायत की आज्ञाओ की सूची पर जो हस्ताक्षर अंकित है तथा पट्टे पर जो हस्ताक्षर अंकित है वह दोनो हस्ताक्षर भिन्न–भिन्न है। निरीक्षण कमेटी के सदस्यो केदार प्रसाद शर्मा, मूलचन्द बैरवा, रामलाल मीना द्वारा शपथ पत्र पेश किये है कि उन्होनें खाली मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये है। इससे भी साफ स्पष्ट है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 ने सरपंच/सरपंच पति से आपराधिक षडयंत्र कर उक्त निगरानीधीन पट्टा प्राप्त किया है जो पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत है। गैर निगरानीकार ने ग्राम पंचायत के समक्ष पुश्तैनी कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज अधिनियम के नियम 157(2) के तहत लाभ देकर प्रश्नाधीन पट्टा जारी किया है। पंचायती राज नियम 148 के अनुसार एक माह का पब्लिक नोटिस सार्वजनिक स्थन पर चस्पा किया जाना आवश्यक है। किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस पर चस्पानगी संबंधी कोई सूचना अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियम 140 लगायत 146 की पालना नहीं की गयी। इसलिए नियम 157(2) के तहत अप्रार्थी को जारी निःशुल्क पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीकार ने अपनी निगरानी में मियाद के संबंध में प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तत किया है। गैर निगरानीकार द्वारा अपनी लिखित बहस में जो नजीरात पेश की है वह नज़ीरे विचाराधीन निगरानी पर लागू नहीं होती है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार जाकर ग्राम पंचायत खिजुरिया तिवाडीयान के आदेश दिनांक 15.12.2021 द्वारा जारी पट्टा संख्या 12 को खारिज किया जावे।

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यो अनुसार ग्राम पंचायत खिजुरिया तिवाडीयान द्वारा जारी किया गया पट्टा नियमानुसार एवं न्याय के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही जारी किया गया है। निगरानीकार द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो में ऐसा कोई कोई भी कारण ऐसा नहीं है जो सद्भाविक हो तथा विलम्ब निगरानीकार के नियत्रंण में नहीं हो। निगरानीधीन पट्टा उपपंजीयक कार्यालय तूंगा में पंजीबद्व है इसलिए रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है। निगरानीकार द्वारा रास्ते की भूमि का पट्टा दिया जाना जाहिर किया

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

जबकि पट्टे के साथ नक्शे में स्पष्ट है कि उसमें कोई रास्ते की भूमि सम्मिलित नहीं है तथा जिस जगह का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है उस पर अरसा कदीमी से गैर निगरानीकार व उसका परिवार तीन मंजिला मकान निर्माण कार्य कर रिहायश कर रहे है। निगरानीकार ने पीढियो से अपने बाडे की भूमि बताकर उस पर कब्जा बताया है इस संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। निगरानीकार द्वारा पुलिस थाना तूंगा में एफ.आई. आर दर्ज करवायी थी उसमें बाद अनुसंधान एफ.आर. लग चुकी है इसलिए कोई फर्जीवाडा ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया। विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने पूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट तीन वार्ड पंच महोदय से मंगवाकर निरीक्षण कर व सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के बाद ही जारी किया है। गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा उनके पुश्तैनी मकान का आवासीय पट्टा लेने हेतु आवेदन किया गया। उक्त आवेदन पत्र तत्कालीन सरपंच महोदय ने कोरम के समक्ष उक्त प्रस्ताव को रखा गया तथा सर्वसहमति से मौके की रिपोर्ट मंगवाने हेतु निर्णय लिया गया निर्णय में तीन पंचो को मौके रिपोर्ट लेने हेतु लिखित नोटिस दिया गया जिसकी रिपोर्ट आने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत ने दिनांक 15.12.2021 को सर्वसहमति से गैर निगरानकार संख्या 1 के हक में 200/– रूपये जमा कर पट्टा संख्या 12 जारी किया है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण भी ग्राम पंचायत ने किया है। निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत में अनुपलब्ध फर्जी पट्टा पेश किया है। उक्त विवादित पट्टे की सम्पत्ति पर गैर निगरानीकार संख्या 1 ही काबिज चले आ रहे है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विधि के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 के कथनो व उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत खिजुरिया तिवाडीयान द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के पट्टा लेने हेतु आवेदन पत्र पर आगे कार्यवाही करते हुए सचिव को नक्शा तैयार करने हेतु एवं वार्ड पंचगण की कमेटी को मौका निरीक्षण हेतु आदेशित किया, सचिव द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित भूमि का नक्शा तैयार किया गया एवं दिनांक 25.11.2021 को तीन वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। निरीक्षण रिपोर्ट पर तीनों वार्ड पंचो के हस्ताक्षर है। तद्नुसार ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के विक्रय के संबंध में आपत्तिया मांगने का सूचना पत्र नियम 148 के अनुसार सात दिवस का आपत्ति नोटिस जारी किया गया। दिनांक 14.12.2021 को ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आपत्ति नहीं आने पर गैर निगरानीकार के हक में पंचायत राज नियम 157(1) के तहत 222.36 वर्गगज भूमि का पट्टा शुल्क 200 रूपये जमा कर पट्टा संख्या 12 जारी किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी मीमो में अंकित किया है कि निगरानीधीन पट्टे रास्ते की भूमि का पट्टा जारी कर दिया जबकि पट्टे के नजरी नक्शे में

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

रास्ते की भूमि का उल्लेख नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत खिजुरिया तिवाडीयान के हस्ताक्षर भिन्न होना जाहिर किया है इस संबंध में गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पुलिस थाना तूंगा में निगरानीकार द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 165 में एफ.आर. लगायी गयी एवं एफ.आर. रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार सरपंच कमली देवी मीना चुनाव से पहले अनपढ थी। सरपंच पद पर चयनित होने के बाद अपने घर पर ही केवल नाम लिखना सीखा है तथा कमली मीना की उम्र अधिक होने के कारण हाथो में कम्पन रहता है जो कभी कैसे व कभी कैसे अपने हस्ताक्षर के रूप में नाम लिखती है। एफ.आर. रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 9 में वार्ड पंच निरीक्षण कमेटी के सदस्यो द्वारा अपने बयानात में निगरानीधीन पट्टे की मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार व हस्ताक्षर कर पेश होना बताया है। बिन्दु संख्या 7 अनुसार निगरानीकार/परिवादी को निगरानीधीन पट्टा जारी होने से कोई किसी प्रकार की हानि व लाभ नहीं होना जाहिर किया है। उक्त एफ.आर. रिपोर्ट से निगरानीकार द्वारा निगरानी में प्रस्तुत उज्र उचित प्रतीत नहीं होते है। निगरानीकार द्वारा निगरानीधीन पट्टे के संबंध में दिनांक 15.12.2021 को आपत्ति पेश की गयी, जिसमें निगरानीकार द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 को निगरानीधीन पट्टा दिये जाने के संबंध में आपत्ति पेश की थी। निगरानीकार की आपत्ति को ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा बैठक दिनांक 20.12.2021 के प्रस्ताव संख्या 4 द्वारा खारिज किया गया। अतएव निगरानीकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात,अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली एवं एफ. आर. रिपोर्ट पुलिस थाना तूंगा के अवलोकन के आधार पर उचित प्रतीत नहीं होते है। विचाराधीन निगरानी में गैर निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष अपने पुख्ता तीन मंजिला मकान का पट्टा लेने हेतु आवेदन किया है, वार्ड पंचगण की मौका रिपोर्ट में भी गैर निगरानीकार के पुश्तैनी मकान पर 20 वर्षो से कब्जा माना है, इसी आधार पर पंचायती राज 1996 के नियम 157 (पुराने गृहो के विनियमितिकरण) के अनुसार गैर निगरानीकार को पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत खिजुरिया तिवाडीयान द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व नियमानुसार पत्रावली बनाई जाकर पंचायत राज अधिनियम 1994 में निहित विधिक प्रकिया अपनाते हुए एवं पचायती राज अधिनियम में निहित नियमों की पालना करते हुए निगरानीधीन पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर